संख्या: / XVIII-(2) / 2018–03 (2) / 2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड शासन।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 11 मई, 2018**

विषय:– आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन गठित 'राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' के संचालन हेतु पदों के सृजन तथा 'राज्य आपातकालीन परिचालन केंन्द्र', 'जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र' एवं 'जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों एवं इनमें पदो के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–14 में राज्य सरकार को 'राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' की स्थापना तथा धारा–16 में प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है। अधिनियम की संगत धाराओं के अतर्गत राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में नीति निर्धारण, कार्यो के सम्पादन व इस सम्बन्ध में उपायों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भागों में प्रभावी रूप से लागू कराये जाने के उद्देश्य से शासन की अधिसूचना संख्या–1198 / XVIII-2 / 07–03(6) / 2007 दिनांक 10, अक्टूबर 2007 द्वारा "उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" का गठन तथा अधिनियम की धारा–16 के अंतगर्त "राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" के संचालन तथा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले 'राज्य आपात कालीन परिचालन केन्द्र', 'जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' एवं 'जिला आपात कालीन परिचालन, केन्द्रों' के गठन एवं प्राधिकरण तथा इन केन्द्रो में कार्य संचालन हेतु समय–समय पर शासनादेशो द्वारा स्वीकृत किये गये पदों को शासनादेश संख्या–1628 / XVIII-(2) / 2016–03(2) / 2016 दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा पुर्नगठित किया गया था।

2– भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में नीति निर्धारण, कार्यो के सम्पादन व इस सम्बन्ध में उपायों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भागों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यू.एस. डी.एम.ए.) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (प्रशासनिक शाखा), राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (क्रियान्वयन शाखा) तथा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले राज्य आपात कालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपात कालीन परिचालन केन्द्र के सम्बन्ध में पूर्व में